न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 14/2021
3. उनवान : जोधाराम पुत्र श्री बिरदाराम गुर्जरा निवासी श्योसिंहपुरा उर्फ गुर्जरों का बास, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

बनाम

राज्य सरकार जरिये लेण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 30.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) श्री के.आर. शर्मा अपीलान्ट की ओर से।
ब) पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.08.2021 बउनवानी सरकार बनाम जोधाराम वगैरह प्रकरण संख्या 33/2021

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ गुर्जरों का वास पटवार हल्का नान्दरी भू.अ.नि.क्षेत्र मूण्डियागढ़ तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर की तन में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 50 रकबा 0.1897 हैक्टेयर में से अतिक्रमित रकबा 0.0997 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता बताते हुए अपीलार्थी को तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल द्वारा निर्णय पारित किया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.08.2021 द्वारा पारित तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से विपरीत एवम् असत्य तथा गलत रिपोर्ट पर आधारित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.08.2021 द्वारा पारित तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर बिना किसी कानूनी प्रावधान के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 तथा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1959 के विपरीत व उसकी अवहेलना कर पारित किये गये है। जिन्हें किसी भी अवस्था में कायम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.08.2021 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध एवं अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये हुए निर्णय पारित किया है। खसरा नं. 50 अपीलार्थी की खातेदारी में से गलत रूप से कटा हुआ है, जबकि खसरा नं. 50 में कभी भी रास्ता कायम नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में कायम है। वर्तमान में मौके पर फसल खड़ी है। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए निर्णय दिनांक 03.08.2021 पारित किया है। अपीलार्थी एवं अन्य कई व्यक्तियों ने एक वाद बाबत् घोषणा, आदेशात्मक निषेधाज्ञा व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभरलेक जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। जिसमें इस आशय की घोषणा चाही गई है कि खसरा नं. 49 व 51 के मध्य रास्ता खसरा नं. 50 विलोपित कर दिया गया है, जो वादीगण के खातेदारी का हिस्सा है। इस प्रकार गुणावगुण के आधार पर अंतिम निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा होना है। उक्त तथ्य एवं कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 03.08.2021 पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। पर्चा सेटलमेंट के कार्यवाही के दौरान भी पूर्व में मौके पर रास्ता नही था। केवल डोटेड लाईन से पगडंडी दर्शाई गई थी। पूर्व में मेड के सहारे सहारे व्यक्तियों को पैदल रास्ता होता था। उस जगह पगडंडी को

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

डोटेड लाईन से दर्शाया जाता था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड की अनदेखी करते हुए आक्षेपित निर्णय दिनांक 03.08.2021 पारित किया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। मौके पर फसल खड़ी है एवं मौके पर कोई रास्ता कायम कभी भी नहीं रहा है एवं अपीलार्थी को जवाब का अवसर भी नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेशिका से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये हुए आक्षेपित निर्णय दिनांक 03.08.2021 पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। आक्षेपित निर्णय एक फोरमेट की तरह है जिसमें किसी फॉर्म भरने की तरह हस्तलिखित लिखावट से भरकर सांइक्लोस्टाईल ऑर्डर पारित किया है, जो कानूनी रूप से सहीं नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निर्णय दिनांक 03.08.2021 निरस्त किये जाने योग्य है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाया जाकर आदेश/निर्णय दिनांक 03.08.2021 द्वारा पारित न्यायालय तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर बउनवानी सरकार बनाम जोधाराम वगैरह अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 प्रकरण संख्या 33/2021 निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने अपने जवाब दिनांक 10.09.2021 में अंकित किया है कि श्री जोधाराम पुत्र बिरदाराम द्वारा विक्रम संवत 2078 में आराजी ख0नं0 50 कुल रकबा 0.1897 है0 भूमि किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.0997 है0 भूमि पर तारबंदी व पलाऊ काटकर रास्ते को अवरूद्ध करने पर पटवारी हल्का नांन्दरी एवं भू.अ. निरीक्षक मुण्डियागढ द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट पेश करने पर प्रकरण संख्या 33/2021 दर्ज कर निर्णय दिनांक 03.08.2021 को पारित किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड नक्शा, जमाबंदी में ख.नं. 50 में गैर मु0 रास्ता दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है। उक्त रास्ते पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का नान्दरी धारा 91 की रिपोर्ट पेश की गई थी। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। तहसील कार्यालय द्वारा दिनांक 28.06.2021 को नोटिस जारी कर अपीलार्थी की पत्नी को तामिल कुनिन्दा द्वारा विधिवत तामील करवाई गई है। तामील की प्रति पत्रावली में शामिल है। सूचित होने के उपरान्त व सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही निर्णय पारित किया गया है। ख.नं. 50 में कभी भी रास्ता कायम नहीं रहा है। जबकि ख0नं0 50 कुल रकबा 0.1897 है0 भूमि किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है। नक्शा व जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश की गई है। आदेश दिनांक 03.08.2021 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 33/2021 दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ गुर्जरों का वास में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 50 रकबा 0.1897 हैक्टेयर में से अतिक्रमित रकबा 0.0997 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता बताते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल द्वारा निर्णय दिनांक 03.08.2021 पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया। खसरा नं. 50 अपीलार्थी की खातेदारी में से गलत रूप से कटा हुआ है, जबकि खसरा नं. 50 में कभी भी रास्ता कायम नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में कायम है। वर्तमान में मौके पर फसल

अतिरिक्त कलक्टर
(पूर्व) जयपुर

जुड़ी है। अपीलार्थी एवं अन्य कई व्यक्तियों ने एक वाद बाबत् घोषणा, आदेशात्मक निषेधाज्ञा व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभरलेक जिला जयपुर में खसरा नं. 49 व 51 के मध्य रास्ता खसरा नं. 50 विलोपित कर दिया गया है, जो वादीगण के खातेदारी का हिस्सा है, का अंतिम निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा होना है। जब तक उक्त वाद में निर्णय नहीं हो जाता, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही करना विधि विरूद्ध है। पर्चा सेटलमेंट के कार्यवाही के दौरान भी पूर्व में मौके पर रास्ता नही था। केवल डोटेड लाईन से पगडंडी दर्शाई गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड की अनदेखी की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.08.2021 को निरस्त फरमाया जाये।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा आराजी ख0नं0 50 कुल रकबा 0.1897 है0 भूमि किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.0997 है0 भूमि पर तारबंदी व पलाऊ काटकर रास्ते को अवरूद्ध करने पर पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट पेश करने पर प्रकरण संख्या 33/2021 दर्ज कर निर्णय दिनांक 03.08.2021 को पारित किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड नक्शा, जमाबंदी में ख.नं. 50 में गैर मु0 रास्ता दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। तहसील कार्यालय द्वारा दिनांक 28.06.2021 को नोटिस जारी कर अपीलार्थी की पत्नी को तामिल कुनिन्दा द्वारा विधिवत तामील करवाई गई है। सुनवाई का समुचित अवसर अपीलार्थी को दिया गया है। सूचित होने के उपरान्त व सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही निर्णय पारित किया गया है। ख.नं. 50 में कभी भी रास्ता कायम नहीं रहा है। जबकि ख0नं0 50 कुल रकबा 0.1897 है0 भूमि किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है।

हम अधिवक्ता अपीलार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन तथा पत्रावली एवं तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलाधीन विवादित आराजीयात खसरा नंबर 50 रकबा 0.1897 हैक्टेयर वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ गुर्जरों का बास पटवार हल्का नान्दरी भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त मूण्डियागढ़ तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है तथा राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलार्थी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं है। उक्त विवादित आराजीयात पर अपीलार्थी का अतिकमण अपील एवं रेस्पोडेन्ट, तहसीलदार किशनगढ रेनवाल के नोटिस, पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी के जवाब से साबित है। रेस्पोडेन्ट द्वारा विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही की गई है तथा अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है, जो अपीलार्थी के जवाब से पुष्ट होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में कोई कानूनी बिन्दू अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं पाये जाने से अपील खारिज योग्य पुष्ट होती है।

अतः अपील अपीलार्थी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.08.2021 द्वारा न्यायालय तहसीलदार किशनगढ रेनवाल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अतिरिक्त कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलेक्टर (तृतीय) जयपुर

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III JAIPUR